राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, मनरेगा)

क्रमांकः एफ.40(54)ग्रा.वि./नरेगा/अपूर्ण कार्य/2014 जयपुर, दिनांक 14 OCT 2014

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी नरेगा योजना में गत वर्षो में स्वीकृत कई कार्य अपूर्ण है, जो कि एक गंभीर स्थिति हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्र क्रमांकः एफ 40(17)ग्रावि/नरेगा/तक मीटिंग/2010 दि0 01.12.2011 को जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. ग्राम पंचायतों में अधूरे कार्य होने की स्थिति में नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जावें। नये कार्य स्वीकृति से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि **"ग्राम पंचायत में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व में स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं।"**

2. पंचायत क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा रोजगार चाहने पर उन्हें सर्वप्रथम पंचायत क्षेत्र के अपूर्ण कार्यो पर ही नियोजित किया जावे जिससे कार्य पूर्णता दर में वृद्वि हो सके।

3. योजना में गत वर्षो में जो स्वीकृत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं उन कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर एमआईएस में इन्द्राज कराया जावे।

4. व्यक्तिगत लाभ के कार्य अल्पावधि में पूर्ण कराये जा सकते हैं। सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं को पाबंद किया जावे कि वे व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के जॉब कार्ड धारियों को स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिये कहें। इस हेतु संबंधित लाभार्थी को नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

5. योजना में स्वीकृत कार्य जो अपूर्ण स्थिति में है और कार्य को पूर्ण कराने हेतु स्वीकृति में संशोधन अपेक्षित है तो विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 27(79)ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/प्रशा. अनु.स./2014 दिनांक 17.09.2014 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

14/10/14

6. योजना में स्वीकृत कार्य विवादित है, मौके पर संपादित कार्य का मूल्याकंन नही हुआ है तो ऐसे कार्यों की विवाद निस्तारण एवं मूल्यांकन आदि हेतु तकनीकी कमेटी का गठन किया जावे। 10 लाख रूपये तक के कार्यों में अधिशाषी अभियंता, ईजीएस एवं सहा0 अभियंता ईजीएस। 10 लाख रूपये से अधिक लागत के कार्यो में अधिशाषी अभि0, ईजीएस एवं अधिशाषी अभियंता (अभि0) की संयुक्त कमेटी गठित की जा सकती हैं।

7. महात्मा गांधी नरेगा में एमआईएस पर कार्य को पूर्ण दर्शाने के पश्चात किसी भी प्रकार का श्रम अथवा सामग्री का भुगतान नहीं किया जा सकता। अतः पूर्ण कार्य को एमआईएस पर दर्शाने के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि पूर्ण हुये कार्य पर किसी भी प्रकार की देनदारियां शेष नहीं है।

8. महात्मा गांधी नरेगा में गत वर्षो में स्वीकृत कार्य जो अपूर्ण स्थिति में हैं, कार्यो को पूर्ण करने हेतु सामग्री मद में राशि की अधिक आवश्यकता है, तो ऐसे कार्यो पर

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, पंचायतीराज को हस्तांतरित विभाग एवं अन्य लाईन विभागों की वित्तीय निधियों से कन्वर्जेन्स/डवटेल कर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

9. वित्तीय वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत किये गये समस्त कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण कराये जावे तथा समस्त पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिनांक 30.04.2015 तक एमआईएस इन्द्राज की कार्यवाही की जावे।

10. उक्त दिशा निर्देश अनुसार जो कार्य पूर्ण नहीं किये जा सकते उनकी कार्यवार सूची तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग को भिजवायी जावे जिससे आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सके।

11. इस संबंध में यदि कोई मार्गदर्शन आवश्यक हो तो राज्य मुख्यालय से लिया जाकर, आगे कार्यवाही की जावे।

उक्त निदेर्शों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा।

14/X/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि. एवं परावि.।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज।
4. निजी सहायक, आयुक्त ईजीएस।
5. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, जिला समस्त।
6. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस।
7. अति0 आयुक्त प्रथम/द्वितीय ईजीएस।
8. वित्तीय सलाहकार ईजीएस।
9. अधीक्षण अभियंता ईजीएस।
10. जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय ग्रावि. एवं परावि. समस्त जिला।
11. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मु. कार्य. अधि. जिला परिषद् समस्त।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद् समस्त।
13. कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
14. सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति समस्त।
15. सहा0 निदेशक (आयोजना) कार्यालय हाजा जिलेवार कार्य पूर्णता दर की समीक्षा करावें।
16. श्री रिंकू एमआईएस मैनेजर को ई–मेल करने बाबत।

आयुक्त, ईजीएस